न्यायालय भू प्रबन्ध अधीनस्थकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधीनस्थकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/30 **दायरा दिनांक : 31.01.2023**

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1. हरिबल्लभ आत्मज भंवरलाल, जाति कुल्मी, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
2. कन्हैया लाल आत्मज भवानी लाल, जाति कुल्मी, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
3. कन्हैया लाल आत्मज रामा, जाति भील, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0 मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   - 3/1. जमना लाल पुत्र कन्हैया लाल, जाति भील, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
   - 3/2. लाल चन्द पुत्र कन्हैया लाल, जाति भील, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
   - 3/3. कैलाश बाई पुत्री कन्हैया लाल, जाति भील, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
   - 3/4. हीरा बाई पत्नी कन्हैया लाल, जाति भील, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – पैरोकार सरकार श्री गिरिराज विजय
श्री चरण सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3/2 व 3/3 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 22.05.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, मु0 झालावाड के प्रकरण संख्या – 424/दावा/98 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2002 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

और यह कथन किया कि ग्राम दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 220 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वादीगण के बाप दादाओं के जमाने से वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है और वर्तमान में भी इस आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, मु0 झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2002 से वादी का वाद डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्र संग्रहसार तथा कानून के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र वादी (रेस्पों) के वाद को ही सारवान मानकर निर्णय पारित किया है। प्रतिवादीगण (अपीलांट) को कोई सबूत सुनवाई का मौका नहीं दिया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य में ग्राम दोबडी की आराजी खसरा नंबर 220 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा भूमि वादीगण एवं उनके बाप–दादाओं के समय से कब्ज–ए–काश्त में चली आ रही है और वर्तमान में भी इस भूमि पर वादीगण का कब्जा है। बंदोबस्त ने इस आराजी को सरकारी दर्ज कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। कब्जा पुराना होने से आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। इसी बीच प्रतिवादी नं. 1 ने प्रतिवादी नं. 2 को आराजी का आवंटन कर दिया लेकिन प्रतिवादी नं. 2 द्वारा आवंटन शर्तों का पालन नहीं करने से खारिज कर दिया गया और ये आराजी सरकारी हो गई। वादीगण का कब्जा काश्त होने से प्रायमाफेसी केस एवं सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। अतः वाद–वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम दोबडी की आराजी खसरा नं. 220 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 को पाबंद किया जावे कि वादीगण को आराजी से बेदखल नहीं करें, ना ऐसा किसी अन्य से करावें। उक्त दावा की डिक्री निर्णय दिनांक 07.11.2002 को पारित करते हुए वादीगण को ग्राम दोबडी, तहसील पिडावा की खसरा नं. 220 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया गया एवं तदानुसार रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की पर्चा डिक्री जारी की। उक्त भूमि सैटलमेंट से खाता सरकार में बंजड अव्वल दर्ज थी। दिनांक 18.11.1975 को नामांतरण सं. 21 से आवंटी कन्हैयालाल आत्मज रामा, जाति भील, निवासी दोबडी के नाम गैर खातेदार दर्ज हुई। नामांतरण सं. 64 निर्णय दिनांक 17.06.1992 से आवंटन शर्तों की पालना न होने से नामा. सं. 64 खारिज हुआ एवं आवंटी कन्हैयालाल पिता रामा, जाति भील, निवासी दोबडा गैर खातेदार ही दर्ज रहा। नामां. सं. 92 निर्णय दिनांक 22.05.2001 से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, झालावाड के मिसल नं. 330/92 निर्णय दिनांक 29.09.2000 से नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त कर खसरा नं. 220 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि को सिवायचक खाता दर्ज किया। नामां. सं. 97 निर्णय दिनांक

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

28.05.2003 से डिक्री इजराय श्रीमान सहायक कलेक्टर, झालावाड के निर्णय दिनांक 07.11.2002 से हरिबल्लभ पिता आत्मज भंवरलाल, जाति कुल्मी, निवासी दोबडी के नाम खसरा नं. 220 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि को सीधे खातेदारी भूमि दर्ज हुई जो बिना आवंटन कमेटी एवं नियम विरूद्ध रहा परंतु डिक्री की पालना करनी थी। इसलिए तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नामा. तस्दीक किया गया एवं उसी निर्णय में रेफरेन्स हेतु लिखा गया परंतु रेफरेन्स नहीं किया गया। नामां. सं. 230 निर्णय दिनांक 28.02.2018 से श्रीमान न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय, झालावाड के निर्णय दिनांक 18.12.2017 से मिसल नं. 424/दावा/1998 माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर, झालावाड में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2002 नियम विरूद्ध होने से खोला गया नामांतरण निरस्त किया गया एवं तहसीलदार पिडावा को निर्देशित किया कि सुस्थापित प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करें। नामां सं. 230 से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज हो गई है। पूर्व में ग्राम दोबडी, तहसील पिडावा के सीमा क्षेत्र में था परंतु वर्तमान में लगभग 4 वर्षों से नवीन तहसील रायपुर के खुलने से सीमा क्षेत्र तहसील रायपुर हो गया है, जिसमें अपीलान्ट को अपील करने का स्वतंत्र अधिकार है। न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा, संभाग कोटा के निर्णय दिनांक 29.11.2018 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय (न्यायालय जिला कलेक्टर) ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामां सं. 97 को जैर अपील निर्णय दिनांक 18.12.2017 से निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय में सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार पिडावा को निर्देशित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अभिमत विधि सम्मत होने से इसकी पुष्टि की गई तथा तहसीलदार पिडावा को अधीनस्थ न्यायालय (न्यायालय सहायक कलेक्टर) द्वारा आलौच्य निर्णय में प्रकट अभिमत की पालना करने के लिए स्वतंत्र है। इसी क्रम में अपील स्वीकार करने योग्य है। प्रतिवादी 1 रेस्पाडेन्ट द्वारा वाद पेश करने से पूर्व सरकार को धारा 80 CPC का नोटिस देना प्रमाणित नहीं है एवं लंबे कब्जे को प्रमाणित नहीं किया। कब्जे के आधार पर आर.टी. एक्ट में खातेदारी के अधिकार देने का प्रावधान नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, मु0 झालावाड द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2002 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.12.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 220 रकबा 4.04 बीघा ग्राम दोबड़ी, तहसील पिडावा (तत्कालीन) हाल रायपुर से संबंधित है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, झालावाड द्वारा निर्णय दिनांक 07.11.2002 पारित कर सिवायचक खातेदार सरकार की भूमि को वादी हरिवल्लभ पुत्र भंवरलाल व कन्हैयालाल पुत्र भवानीलाल को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया गया है जिसके कारण नामान्तरण संख्या 97 दिनांक 28.05.2003 वादीगणों के पक्ष में तस्दीक हुआ जिसे तहसीलदार, पिडावा के रेफरेंस करने पर न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड ने आदेश दिनांक 18.12.2017 से निरस्त कर दिया जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 230 दिनांक 28.12.2018 से विवादित भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर वादीगण हरिबल्लभ व कन्हैयालाल ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा में अपील पेश की, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2018 से नामान्तरण संख्या 97 निरस्त करने की हद तक अपास्त किया गया।

प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नं. 220 रकबा 4.04 बीघा भूमि सिवायचक खाता सरकार होने से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.11.1975 को कन्हैयालाल पुत्र रामा, जाति भील को आवंटित कर दी गई थी, किन्तु आंवटी कन्हैयालाल द्वारा आंवटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से जिला कलक्टर, झालावाड ने दिनांक 29.09.2009 को आराजी को पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये, जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 92 दिनांक 22.05.2001 से भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज कर दिया गया। भूमि वर्तमान में सिवायचक खाता सरकार दर्ज है।

वादीगणों द्वारा प्रकरण में शामिल दस्तावेज खतौनी बंदोबस्त संवत् 2022 से 2041 में भूमि सिवायचक खाता सरकार के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2045–2048 बाद सेटलमेंट विवादित भूमि कन्हैयालाल पुत्र रामा, जाति भील के गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ग्वसरा गिरदावरी संवत 2024 से 2028, संवत 2029 से 2032 में भी भूमि सिवायचक दर्ज थी।

वादपत्र के साथ सलंग्न खसरा गिरदावरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगणों व उनके पूर्वजों का विवादित भूमि पर कभी भी नियमित कब्जा नहीं रहा। भूमि पर संवत 2032 से आवंटी कन्हैयालाल भील का कब्जा काश्त रहा है। प्रस्तुत दस्तावेजों से वादीगणों का लम्बा कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। वादीगण मात्र कब्जे के आधार पर

(दीपेन्द्र रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत. अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.11.2002 को निरस्त फरमाया जाना उचित होगा।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3/2 व 3/3 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित एवं विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखी जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम दोबडी की खसरा नं. 220 रकबा 4.04 बीघा भूमि वादीगण एवं उनके बाप दादाओं के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है और वर्तमान में भी वादीगण का कब्जा है। सेटलमेंट ने इस आराजी को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। पुराना कब्जा होने से आराजी वादीगण के खाते में दर्ज की जानी चाहिए, जो नहीं की गयी। इसी बीच प्रतिवादी नं. 1 तहसीलदार पिडावा ने प्रतिवादी नं. 2 कन्हैयालाल पुत्र रामा जाति भील निवासी दोबडी तहसील पिडावा को आराजी का आवंटन कर दिया लेकिन प्रतिवादी नं. 2 द्वारा आवंटन शर्तों का पालन नहीं करने से खारिज कर दिया गया और यह आराजी सरकारी हो गयी। वादीगण का कब्जा काश्त होने से प्रायमाफेसी केस एवं सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर उक्त आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे व प्रति॰ दी नं. 1 व 2 को पाबंद किया जावे कि वादीगण को आराजी से बेदखल नहीं करे ना ऐसा किसी अन्य से करावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 2 की ओर से जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के समय से ही प्रतिवादी नं. 2 का कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। वादीगण ने हल्का पटवारी से साठगांठ कर आवंटन दिनांक 17.06.1992 को राजस्व समाधान शिविर में अवैधानिक रूप से खारिज करवा दिया है। इस अवैधानिक आदेश के खिलाफ प्रतिवादी नं. 2 ने सक्षम न्यायालय कलेक्टर झालावाड में दिनांक 22.09.1992 को अपील प्रस्तुत कर दी है, अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.06.1992 के कियान्वयन पर रोक भी ताफैसला अपील लगायी है। वादग्रस्त आवंटन के पूर्व जिन अतिक्रमियों का नाजायज कब्जा था उन्हें धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत बेदखल कर भूमि का आवंटन किया गया है। अतिक्रमी को कोई कानूनी अधिकार सरकारी भूमि में प्राप्त नहीं होते है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, झालावाड द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2002 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वाद वादीगण डिक्री कर वादीगण को ग्राम दोबडी तहसील पिडावा की खसरा नं. 220 रकबा 4.04 बीघा का खातेदार टीनेंट घोषित किया गया। इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी कम 1 सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में पुराने कब्जे काश्त के आधार पर विवादित आराजी खसरा नं. 220 रकबा 4.04 बीघा पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया है, परन्तु वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी पर अपने निरन्तर कब्जे काश्त को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी बन्दोबस्त संवत 2022 से 2041 के अनुसार खसरा नं. 220 रकबा 4.04 बीघा आराजी सिवाय चक खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2045–2048 बाद सैटलमेंट विवादित आराजी प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 3 कन्हैयालाल पुत्र रामा, जाति भील के गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी संवत 2024 से 2028, संवत 2029 से 2032 में भी विवादित आराजी सिवायचक दर्ज थी।

विवादित आराजी खसरा नं. 220 रकबा 4.04 बीघा भूमि सिवाय चक खाता सरकार होने से दिनांक 16.11.1975 को कन्हैयालाल पुत्र रामा, जाति भील को आवंटित की गई परन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर जिला कलेक्टर, झालावाड द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.09.2000 से आवंटन निरस्त कर आराजी को पुनः सिवाय चक दर्ज करने का आदेश पारित किया। निर्णय की पालना में नामान्तरण संख्या 92 दिनांक 22.05.2001 से भूमि पुनः सिवायचक दर्ज की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से जिस भूमि पर रेस्पोडेंट कम 1 व 2 को खातेदारी दी है वह भूमि

(दीपक चन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पूर्व में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को आवंटित आराजी थी। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने पर भूमि खाता सरकार दर्ज की गई थी। अतः उक्त भूमि पर अन्य वर्ग के व्यक्तियों को खातेदारी प्रदान करना विधि सम्मत नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी पर वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का निरन्तर कब्जा भी साबित नहीं होता। अतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सिवायचक खाता सरका दर्ज आराजी पर वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2002 खारिज की जाती है। विवादित आराजी सिवायचक खाता सरकार दर्ज की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/05/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधीनस्थकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर, जिला झालावाड बनाम

.... अपीलांट

1. हरिबल्लभ आत्मज भंवरलाल, जाति कुल्मी, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
2. कन्हैया लाल आत्मज भवानी लाल, जाति कुल्मी, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
3. कन्हैया लाल आत्मज रामा, जाति भील, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0 मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   3/1. जमना लाल पुत्र कन्हैया लाल, जाति भील, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
   3/2. लाल चन्द पुत्र कन्हैया लाल, जाति भील, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
   3/3. कैलाश बाई पुत्री कन्हैया लाल, जाति भील, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
   3/4. हीरा बाई पत्नी कन्हैया लाल, जाति भील, निवासी दोबड़ी, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2023/30**
मु.द.नं0 **424/दावा/1998**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **सहायक कलेक्टर (मु0), झालावाड़**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **07.11.2002**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **15 माह 05** सन् **2026**

पैरोकार सरकार श्री गिरिराज विजय अपीलांट की ओर से, **श्री चरण सिंह चौहान** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं0 3/2 व 3/3 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2002 खारिज की जाती है। विवादित आराजी सिवायचक खाता सरकार दर्ज की जाये।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **22 माह 05 सन् 2026** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)